न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 27/2023

1. मूली देवी पुत्री मालाराम पत्नी गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी खीजरसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू(राज.)

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय बिसाऊ तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता वादी:- श्री महेन्द्र कुमार नेमीवाल एडवोकेट

निर्णय

प्रार्थना पत्र दायरी दिनांक:-04.04.2023

निर्णय दिनांक :-16.05.2024

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम खीजरसर तहसील बिसाउ जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 0.300 हैक्टर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 379/28 रकबा 0.86 हैक्टर, खसरा नम्बर 380/28 रकबा 0.0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 385/26 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.24 हैक्टर भूमि है। जो कि प्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की गलती से प्रार्थीया कानाम मुलती पुत्री मालाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही नाम मूली देवी पुत्री मालाराम है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। 3. यह कि प्रार्थीया ने अपने कृषि भूमि में केसीसी लेने के लिए दिनांक 14/03/2023 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो प्रार्थीया को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मूलती पुत्री मालाराम की जगह मूली देवी पुत्री मालाराम दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थीया अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है। वाद कारण दिनांक 14/03/2023 को प्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीया ने तहसीलदार महोदय बिसाऊ से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मूलती पुत्री मालाराम की जग्रह मूली देवी पुत्री मालाराम दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट अनुसार जमावन्दी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

Scanned with OKEN Scanner

सम्वत् 2031–34 में प्रार्थिया का नाम मुलती दर्ज हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी 2074–77 में भी प्रार्थिया का नाम मुलती दर्ज रिकार्ड है। मौके पर पुछ–ताछ में उपस्थित में बताया कि मुलती का सही नाम मूली देवी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । साक्ष्यों के अनुसार प्रार्थिया का वास्तविक नाम मुलती देवी पुत्री मालाराम है। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों एवं तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम खीजरसर के खाता संख्या 107 में दर्ज मुलती पुत्री मालाराम के स्थान पर मूली देवी पुत्री मालाराम शुद्व कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार पालना तहरीर तहसीलदार बिसाऊ को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

Scanned with OKEN Scanner